(वाद सं०–6794/4/9/2021)

06.07.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुरेन्द्र उपाध्याय, द्वारा अपने तथा उनके दोनों पुत्रियों के जाति प्रमाण–पत्र को निर्गत करने हेतु राजस्व कर्मचारी, जयप्रकाश राम, द्वारा प्रत्येक से दो–दो हजार रूपये रिश्वत माँगने तथा रिश्वत नहीं देने पर तीनों का जाति प्रमाण–पत्र आवेदन अस्वीकृत कर दिये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया** से प्रतिवेदन की मांग की गयी। **जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता व अंचलाधिकारी, बगहा–2 के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी, सुरेन्द्र उपाध्याय, मूलतः साकिन–बीबी बनकटवा, वार्ड न0–7, थाना–चौतरवा, अंचल–बगहा–1 के निवासी है तथा उनकी दोनों पुत्री तान्या रानी तथा संगली कुमारी, का के आधार कार्ड में उपरोक्त पता से उनका स्थायी निवास के रूप में बीबी बनकटवा, अंचल–बगहा–1 दिया गया है। परिवादी द्वारा अपने तथा अपनी पुत्रियों के E.W.S. प्रमाण पत्र हेतु आवेदन बगहा–1 अंचल के बजाय बगहा–अंचल–2 में दिया गया था, जो नियमानुकूल नहीं पाकर, अस्वीकृत कर दिया गया। प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा राजस्व कर्मचारी, जयप्रकाश राम, के ऊपर लगाये गये आरोप को तथ्यहीन, बेबुनियाद, निराधार एवं सत्य से परे बताया गया है।**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी का कथन है कि वह अपने स्थायी निवास को काफी पहले ही छोड़ चुके हैं तथा वहाँ से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अपने उपरोक्त तथ्य के समर्थन में उसकी ओर से अपने तथा अपनी पुत्रियों के वोटर कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गई है,

जिसमें उसका निवास स्थान बगहा, अंचल–2 के अन्तर्गत उल्लेखित है।

परिवादी का कथन है कि वह अपने परिवार के साथ अस्थायी रूप से बगहा अंचल–2 में निवास कर रहा है। बगहा, अंचल–1 में स्थित उसके पैतृक निवास स्थान से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है।

प्रसंगाधीन मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी एवं उसकी दोनों पुत्रियाँ पश्चिमी चम्पारण, बेतिया जिला के अन्तर्गत निवास करते है।

उपरोक्त के आलोक में **जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया** से अनुरोध है कि परिवादी के जाति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, प्रसंगाधीन मामले में अपने स्तर से परिवादी के **अस्थायी निवास स्थान** के आधार पर उसका तथा उसके दोनों पुत्रियों का जाति प्रमाण पत्र/ **E.W.S. प्रमाण पत्र नियमानुसार निर्गत करने सम्बन्धी आदेश सम्बन्धित अंचलाधिकारी/कर्मचारी को दिया जाय, जिससे कि मात्र निवास स्थान के आधार परिवादी एवं उसकी पुत्रियों का भविष्य खराब न हो सकें।**

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति (परिवाद पत्र 1/प0 से 9/प0 की प्रति के साथ) सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया भेजते हुए, इसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक